राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांकः– एफ–5/मु./या./सं.चा./2025/725 दिनांकः–17-7-25

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था/भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समिति से 1200 चालकों की सेवा अनुबन्ध पर लेने हेतु ई–निविदा आईडीः–2025_RSRTC_452739_2, UBN No. RTC2425SLOB00855 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा आमंत्रित की गई थी। उक्त बिड की शर्त संख्या 03 के अनुसार "बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि 58,00,000/–रूपये (अक्षरे अठावन लाख रूपये मात्र) की डी.डी./बैंक गारंटी के रूप में वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि, बोली पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि चार माह होगी।"

उक्त बिड में मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) द्वारा भाग लिया गया तथा बिड के संलग्न तकनीकी बोली आवेदन पत्र में बोली प्रतिभूति राशि 58,00,000/– रूपये जमा कराये जाने का उल्लेख करते हुये instrument का नाम बैंक गारंटी संख्या 121040400007222 एवं बैंक का नाम यस बैंक उल्लेखित किया गया। मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अन्य बिड के संलग्न बैंक गारंटी के प्रपत्र को तोड़–मरोड़कर ऐसी Fixed Deposit जो निगम कों प्रस्तुत ही नही की गई, की संख्या अंकित करते हुये बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करते हुये अंवाछित वित्तीय लाभ लेने और बिड प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किये गये instrument के सम्बन्ध में यस बैंक की तलवंडी, कोटा शाखा से सत्यापन कराने हेतु बैंक शाखा को इस कार्यालय के पत्रांक 379 दिनांक 06.05.2025 एवं 386 दिनांक 07.05.2025 पत्र लिखा गया था जिसका बैंक द्वारा प्रत्युत्तर जरिये ई–मेल दिनांक 12–05–2025 से इस instrument को बैंक गांरटी नही मानने एवं उसके सम्बन्ध में बैंक द्वारा कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किये जाने से अवगत कराया गया।

RTPP अधिनियम के नियम 80(2)(b) (सत्यनिष्ठा संहिता) में प्रावधान है कि "उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिये या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिये गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।"

उपरोक्तानुसार बिडर मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) द्वारा निगम द्वारा जारी ई–निविदा आईडीः–2025_RSRTC_452739_2, UBN No. RTC2425SLOB00855 दिनांक 12..03.2025 में आवश्यक बिड प्रतिभूति प्रस्तुत किये बिना ही एक ऐसे दस्तावेज जो बैंक गारंटी था ही नहीं, को बैंक गारंटी बताकर प्रस्तुत किया जिसकी सम्बन्धित बैंक द्वारा बैंक गारंटी के रूप में पुष्टि नहीं की गई और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) द्वारा RTPP नियमों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग की और जानबूझकर तथ्यों को मिथ्या निरूपण करते हुये वित्तीय लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्तानुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग करने एवं अवांछित वित्तीय लाभ लेने का प्रयास करने के सम्बन्ध में मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स को पत्र क्रमांक 248 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत करवाया गया कि निविदा को निरस्त कर पूर्व निविदा पत्र की शर्तो को हटाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पंहुचाने की नियत से हमारी फर्म पर Debar की जा रही है। उक्त कथन अमान्य है क्योंकि निगम के पास निविदा शर्तो में किसी भी स्तर पर परिवर्तन किये जाने का अधिकार सुरक्षित होता है एवं बिडर द्वारा नोटिस में उल्लेखित बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किये गये instrument के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आमंत्रित बिड, मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) द्वारा संलग्न दस्तावेजों, बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित जानकारी एवं बिडर द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स द्वारा RTPP नियमों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग करने के साथ ही जानबूझकर तथ्यों को मिथ्या निरूपण करते हुये वित्तीय लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। RTPP एक्ट के नियम 42(2) के अनुसार सत्यनिष्ठा भंग करने वाले बिडर द्वारा जमा की गई बिड प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाना आवश्यक है परन्तु मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स के द्वारा बिड प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत instrument Invocable नही है। अतः इस नियम के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाना संभव नही है। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरांत RTPP नियमों की धारा 11(3) व 46 के अंतर्गत मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241–242, महावीर नगर, ।।। कोटा, (राज.) को इस निगम की बिड प्रक्रिया में भाग लेने से एक वर्ष की अवधि के लिये विवर्जित(Debar) किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/7

(चाँद मल वर्मा)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः— एफ—5 / मु. / या. / सं.चा. / 2025 / 725 दिनांकः— 17-7-25

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष(..........) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महा प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आई.टी शाखा, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को निगम वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in एवं http:// eproc.rajasthan.gov.in व स्टेट पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य प्रबधंक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,............................आगार।
7. मैसर्स पंकज लैबर सप्लायर्स, 241—242, महावीर नगर, ।।। कोटा, राजस्थान।
8. रक्षित / आदेश पत्रावली।

(निशा)
उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

I.T./1015
17/07/25